



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1133 राँची, बुधवार,

19 दिसम्बर, 2018 (ई०)

#### विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2018

संख्या-एल०जी०-24/2018-191/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 5 दिसम्बर, 2018 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

**झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2018**

(झारखण्ड अध्यादेश, 09, 2018)

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने हेतु अध्यादेश

#### **प्रस्तावना :-**

चूँकि झारखण्ड विधान सभा सत्र में नहीं है; और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में

आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन आवश्यक हो गया है;

इसलिय अब झारखण्ड राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद के 213 के खंड (1) के द्वारा प्रदात शक्तियों के अंतर्गत निम्नवत प्रख्यापित करते हैं:-

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

- (1) यह अध्यादेश "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश-2018" कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

### 2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2) (क) में संशोधन:-

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा:-

- (i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।
- (ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**संजय प्रसाद,**  
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

-----